संशोधन आदेश

संख्या- 280 / 2023 / 4029 / चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 25 सितम्बर, 2023

विषय- आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत 'मेरी माटी मेरा देश' एवं 'हर घर तिरंगा' अभियान-2023 कार्यक्रम के अवसर पर दिनांक 09 से 15 अगस्त, 2023 की अवधि में आयोजित अभिलेख प्रदर्शनी को संपूर्ण प्रदेश मे मोबाईल वैन द्वारा प्रदर्शित किये जाने पर हुए व्यय की भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक शासनादेश संख्या-274/2023/3849/चार-2023, दिनांक 14 सितम्बर, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-274/2023/3849/चार-2023, दिनांक 14 सितम्बर, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 14 सितम्बर, 2023 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर- (4) में अंकित 'उक्त धनराशि आहरित कर उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।' के स्थान पर 'उक्त धनराशि आहरित कर संबंधित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।' पढ़ा जाय। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

3- उक्त शासनादेश संख्या-274/2023/3849/चार-2023, दिनांक 14 सितम्बर, 2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 280 /2023 / 4029 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in